संख्या:-49/2022/124आ0-001-23-5-22-27(भवन)/2020

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2022**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-29 "सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत" के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज, बरेली, कानपुर नगर व गोण्डा के 06 विशेष मरम्मत कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-384बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/22-23, दिनांक 18.08.2022 एवं पत्र सं0-410बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/22-23, दिनांक 29.07.2022 तथा पत्र सं0-375बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/22-23, दिनांक 29.07.2022 व पत्र सं0-394बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/22-23, दिनांक 29.07.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के राजस्वलेखा मद के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज, बरेली, कानपुर नगर व गोण्डा के 06 विशेष मरम्मत कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता रू0 71.01 लाख में से **रू0 61.74 लाख (रू0 इकसठ लाख चौहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	126/2021/365आ0/23-5-21-21(भवन)/2020टीसी, दिनांक 23.11.2021	प्रयागराज में अधीक्षण अभियन्ता, 18वां वृत्त(राष्ट्रीय मार्ग), लो0नि0वि0, प्रयागराज एवं अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड-1, लो0नि0वि0, प्रयागराज के कार्यालयों के विशेष मरम्मत का कार्य।	13.88	06.94	06.94	06.00
2	145/2021/411आ0/23-5-21-27(भवन)/2021, दिनांक 28.12.2021	अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद सर्किट हाउस प्रयागराज के सूट सं0-1(त्रिवेणी सूट) तथा सूट सं0-2(संगम सूट) के विशेष मरम्मत का कार्य।	17.38	11.00	06.38	05.50
3	121/2021/323आ0/23-5-21-06(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 28.10.2021	महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एवं मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में दिनांक 11.09.2021 व 12.09.2021 के आगमन पर अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद सर्किट हाउस,	38.48	19.24	19.24	17.24

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		प्रयागराज के आन्तरिक एवं वाह्य मरम्मत के साथ रंगाई-पुताई का कार्य।				
4	121/2021/323आ0/23-5-21-06(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 28.10.2021	देवरनिया रेस्ट हाउस की मरम्मत /सुधार एवं रंगाई-पुताई का कार्य। **(विद्युत कार्य)**	04.57	02.29	02.28	02.00
5	128/2021/358आ0/23-5-21-06(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 23.11.2021	कानपुर में प्रान्तीय खण्ड परिसर स्थित अनावासीय भवनों के मरम्मत का कार्य।	13.57	07.00	06.57	05.00
6	04/2022/17आ0/23-5-22-27(भवन)/2020, दिनांक 07.01.2022	गोण्डा में सर्किट हाउस की मरम्मत एवं रेनोवेशन के कार्य।	32.60	03.00	29.60	26.00
योग :-			**120.48**	**49.47**	**71.01**	**61.74**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 61,74,000 (रूपये इकसठ लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-49/2022/124आ0(1)/001-23-5-2022, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी प्रयागराज, बरेली, कानपुर नगर व गोण्डा।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज, बरेली, कानपुर नगर व गोण्डा।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, बरेली क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र व देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, 47वां(वि0/यॉ0) वृत्त, कानपुर वृत्त व गोण्डा वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
14- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, बरेली।
15- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन), लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
16- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, गोण्डा।
17- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।